<u>न्यायालय सिविल न्यायाधीश, बून्दी (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी : निखिल कुमार नाड, आर.जे.एस.
दीवानी वाद संख्या– : 02 / 2018
सी.आई.एस. सं. : 02 / 2018

1– कुंजबिहारी पुत्र भंवरलाल, जाति–कुशवाह, निवासी–सांकड़दा, तहसील एवं जिला–बून्दी (राज.)

वादी

बनाम

1– रामराज पुत्र दयाराम,
2– धन्ना पुत्र दयाराम,
3– पुखराज पुत्र दयाराम, जातियान–कुशवाह,
निवासीगण–सांकड़दा, तहसील एवं जिला–बून्दी (राज.)

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थिति :–

01 श्री रामदत्त शर्मा, अधिवक्ता वादी की ओर से.

02 श्री गिरधर गोपाल शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से.

दिनांक : 06.09.2018

<u>आदेश</u>

1. इस आदेश के माध्यम से प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रा.पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 (घ) सीपीसी दिनांकित 03.04.2018 का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रा.पत्र के माध्यम से प्रतिवादीगण ने मुख्य रूप से कथन किया है कि वादी ने अपने वाद पत्र की चरण सं.1 में भूमि खसरा सं. 1916 रकबा 12 बिस्वा को ग्राम सिलोर, तहसील व जिला–बूंदी में स्थित होना एवं राजस्व अभिलेखों में सिवायचक दर्ज होना स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 14.12.2017 को वाद कारण उत्पन्न होना दर्शाते हुए इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने की प्रार्थना की है कि वह वादी को जबरन व ताकत के बल पर बिना विधिक प्रकिया अपनाये बेदखल नहीं करें। उक्त वाद कृषिभूमि से संबंधित है और राजकीय राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में भी कृषिभूमि के रूप में दर्ज है। वर्तमान में कृषिभूमि आबादी में परिवर्तित नहीं हुई है, इसलिये इस न्यायालय को प्रस्तुत वाद पत्र पर प्रसंज्ञान लेकर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है।

राजस्व काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 अवलोकनीय है। सिवायचक वह कृषिभूमि है, जिसे राज्य सरकार भूमिहीन कृषकों को आवंटित करती है और उसके लिये नियम भी बनाये हुए हैं। उक्त भूमि राज्य सरकार के खाते में दर्ज होने से वादी को उस पर किसी प्रकार के स्वत्व व अधिकार व निजी हित सृजित नहीं हुए हैं। अतः वादी का वाद पत्र खारिज फरमाया जावे। अपने समर्थन में उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं–

1– 2018 (2) डी.एन.जे. राज. 676,

2– आर.एल.डब्ल्यू. 1997 (3) राज. पेज–1723,

3– आर.आर.डी. 14.07.2012 पेज–455.

2. वादी ने प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए मुख्य रूप से कथन किया है कि सरकारी भूमि पर वादी द्वारा राज्य सरकार–भू स्वामी के विरूद्ध कोई रीलिफ नहीं चाहा गया है। कब्जेधारी वादी तृतीय पक्षकार प्रतिवादी के विरूद्ध कानूनन स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रतिवादीगण का प्रा.पत्र खारिज कर अस्वीकार फरमाया जावे। अपने समर्थन में उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं–

1– आर.एल.डब्ल्यू. 1996 (2) पेज–650,

2– आर.एल.आर. 1993 (2) पेज–50,

3– ए.आई.आर. 1989 (एससी) पेज–1989.

3. बहस उभयपक्षकारान् सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपने प्रा.पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए प्रा.पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है, जबकि अधिवक्ता वादी ने अपने जवाब प्रा.पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए प्रतिवादीगण का प्रा.पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

4. हस्तगत प्रा.पत्र प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया। जिसके निस्तारण के लिये न्यायालय को वादी के वाद पत्र एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात् का ही अवलोकन करना है व इस स्तर पर प्रतिवादी के जवाबदावे को नहीं देखा जाता है। वाद पत्र के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के लिये हस्तगत वाद को प्रस्तुत किया है, जिसमें वह भूमि खसरा संख्या 1916 रकबा 12 बिस्वा वाके ग्राम सिलोर, तहसील व जिला–बूंदी के संबंध में उक्त अनुतोष प्राप्त

करना चाहता है। वादी ने अपने वाद पत्र की चरण सं. 2 में साफ रूप से इस तथ्य को अंकित किया कि वादी व उसके पिता ने उक्त भूमि को फाड़ तोड़कर काबिल काश्त बनाया है और वाद पत्र की चरण सं.6 के अनुसार उक्त भूमि पर वे वर्तमान में काबिज काश्त हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि वर्तमान में वादी के कथनानुसार कृषि कार्य हेतु उपयोग में ली जा रही है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात् का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रपत्र सं. पी.14 के चौथे खण्ड में फसल के नाम के स्थान पर गेंहू वर्णित किया हुआ है। जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। वादी ने अपने वाद पत्र की चरण सं.1 में विवादित भूमि को सिवायचक भूमि दर्ज होना बताया है और सिवायचक भूमि वह भूमि होती है, जिस पर सरकार का एकाधिकार होता है और उसे राजस्व रेकॉर्ड में सरकार के नाम पर दर्ज किया हुआ होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रपत्र सं. पी.14 उसके पक्ष में पटवारी द्वारा जारी किया गया प्रकट होता है, जो अतिचारी/अतिक्रमी के पक्ष में जारी किया जाता है। उक्त तथ्य से यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि सिवायचक भूमि है, जो राजस्व रेकॉर्ड में बतौर कृषिभूमि दर्ज है। इस संदर्भ में प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत किया गया न्यायिक दृष्टांत **2018 (2) डी.एन.जे. राज. 676** सुसंगत है, जिसमें माननीय राज. उच्च न्यायालय ने न्यायिक विनिश्चय **लाल सिंह झाला बनाम पन्नालाल (एस.बी. सिविल मिस.अपील नं.1644/2012)** के आधार पर यह प्रतिपादित किया है कि *''The land in question being agricultural & the suit being a simple suit for injunction, the same before civil court was apparently bared under the provision of Sec. 207 of the Rajasthan Tenancy Act & , therefore, the trial court was not justified in rejecting the application O.7 R.11 CPC filed by petitioner ''* इसी प्रकार प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टांत **आर.आर.डी. 14.07.2012 पेज–455** में माननीय राज. उच्च न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 के प्रा.पत्र ो स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि *''कृषिभूमि से संबंधित घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष मात्र राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है। ''* अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं न्यायिक दृष्टांतों की पालना में यह पाया जाता है कि वादी द्वारा हस्तगत वाद कृषिभूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु पेश किया है, जिसके सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को न होकर मात्र राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। इसलिये वादी का वाद विधि (राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम की धारा 207) द्वारा वर्जित है।

5. वादी के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया है कि वादी सिवायचक भूमि पर काबिज काश्त है और उसके द्वारा हस्तगत वाद प्रतिवादीगण, जो कि स्वामी या काश्तकार न होकर तृतीय पक्षकार है और उसके विरूद्ध वादी हस्तगत प्रकृति का वाद प्रस्तुत कर सकता है। अपने उक्त कथनों के समर्थन में वादी ने न्यायिक दृष्टांत **आर.एल.डब्ल्यू. 1996 (2) पेज–650, आर.एल.आर. 1993 (2) पेज–50** एवं **ए.आई.आर. 1989 (एससी) पेज–1989** पेश किये हैं। जिनमें प्रतिपादित सिद्धान्त और वादी द्वारा किया गया उक्त कथन सही माना जा सकता है कि एक अतिक्रमी दूसरे अतिक्रमी के विरूद्ध निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु कौन–सा न्यायालय सक्षम न्यायालय होगा, इस बिन्दु पर कोई कानून अभिनिर्धारित नहीं किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त तीनों न्यायिक दृष्टांतों में कहीं भी यह प्रतिपादित नहीं किया गया है कि उक्त प्रकृति के वाद को सुनने के लिये सक्षम न्यायालय केवल सिविल न्यायालय ही होगा। इसलिये वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांत हस्तगत वाद पर चस्पा नहीं होते हैं और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांत लागू होना पाया जाता है।

6. अतः उपरोक्त तथ्यों से न्यायालय का विनम्र मत है कि वादी के हस्तगत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 से वर्जित होने की वजह से उसका श्रवणाधिकार इस न्यायालय को न होकर मात्र राजस्व न्यायालय को है, इसलिये प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रा.पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 (घ) सपीसी स्वीकार कर वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण नामंजूर किया जाता है।

(**निखिल कुमार नाड**)
सिविल न्यायाधीश
बून्दी (राज0)

7. आदेश आज दिनांक 06.09.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(**निखिल कुमार नाड**)
सिविल न्यायाधीश
बून्दी (राज0)